राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ....५१/भरत/2016 - 2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि

..पूर्व...छात्र...समिति,..महारानी...श्री...जया...राजकीय...स्नातकोत्तर...महाविद्यालय...भरतपुर

तहसील ....भरतपुर.................. जिला ''' भरतपुर ''' का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ....बारह.......... माह ....जुलाई....................

सन् दो हजार ....सोलह.......... को भरतपुर (राज०) में दिया गया।

रजिस्टार संस्थाएं
भरतपुर (राज०)
रजिस्ट्रार संस्थायें
भरतपुर

R.K. OFFSET, M.-9462869075

Scanned by CamScanner

पूर्व छात्र समिति(ALUMNI ASSOCIATION)

महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर

संघ विधान पत्र

1. संस्था का नाम– इस संस्था का नाम पूर्व छात्र समिति, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय– इस संस्था का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय– प्राध्यापक कक्ष, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर रहेगा तथा कार्यक्षेत्र एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला भरतपुर क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3. संस्था के उद्देश्य–

1. महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर मे अध्ययन किये पूर्व विद्यार्थियो मे आपसी सद्भाव व भ्रातृत्व भावना का विकास करना।
2. महाविद्यालय के विकास के लिए योजना बनाकर क्रियान्वयन करना।
3. छात्रो के व्यक्तित्व विकास तथा ज्ञानवर्धन के लिए समय–समय पर सांस्कृतिक, बौद्धिक गतिविधियाँ तथा शिविर एवम् अन्य रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करना।
4. पूर्व सम्माननीय विद्यार्थियो का सम्मान करना।
5. प्रतिभावान विद्यार्थियो का सम्मान करना।
6. राष्ट्र तथा समाज के विकास कार्यो मे अपूर्व योगदान देने वाले तथा विशिष्ट उपलब्धियो से गौरवान्वित पूर्व तथा वर्तमान छात्रो का सम्मान करना।
7. सदस्यो एवम् दानदाताओ के संसाधनो एवं विभिन्न गतिविधियो से धन अर्जित कर महाविद्यालय तथा समाजोपयोगी गतिवधियो मे लगाना।
8. महाविद्यालय मे जनहितार्थ गतिविधियाँ आयोजि करना।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई निजी लाभ निहित नहीं है।

Scanned by CamScanner

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारणी समिति को सौपा गया है,जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी व सदस्य निम्नलिखित है :–

क.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	डा0 रमाकान्त चर्तुवेदी/श्री भूरीसिंह	उपाचार्य एम. एस. जे	9, अनिरूद्ध नगर, मडरपुर रोड, भरतपुर	अध्यक्ष
2.	डा0 राजेन्द्र सिंह/श्री निरंजन सिंह	व्याख्याता	8, पुराना रोडवेज वर्कशोप कॉलोनी, भरतपुर	उपाध्यक्ष
3.	डा0 बृजेश कुमार गुप्ता/श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	व्याख्याता	262, राजेन्द्र नगर, भरतपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल/श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	व्याख्याता	ए 28, रनजीत नगर, भरतपुर	सचिव
5.	डा0 ओमप्रकाश शर्मा/ श्री बाबूलाल शर्मा	व्याख्याता	2/38 हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, भरतपुर	संयुक्त सचिव
6.	डा0 रामबाबू [illegible]/ श्री रामचरण [illegible]	व्याख्याता	गॉव व पोस्ट– खूट खेरा, तह– बयाना भरतपुर	संयुक्त सचिव
7.	डा0 प्रमिला गुप्ता/ श्री बैजनाथ गुप्ता	व्याख्याता	[illegible]01, पदमविला, भरतपुर	कोषाध्यक्ष
8.	डा0 परमजीत सिंह/ श्री बलबन्त सिंह	व्याख्याता	30, [illegible] नगर, न्यू आदर्श कॉलोनी, पाई बाग, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
9.	डा0 मधु गोदारा/श्री महाराज सिंह	व्याख्याता	459, कृष्णा नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
10.	डा0 विनोद कुमार शर्मा/ श्री हरिशंकर शर्मा	व्याख्याता	मकान न. 86, बाईपास रोड, डीग	कार्यकारणी सदस्य
11.	डॉ शिव कुमार सिंह/ श्री बृजेन्द्र सिंह	व्याख्याता	घेर बल्लभगढ, कोतवाली के पास, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
12.	डॉ0 रीता गुप्ता/ श्री रमनलाल गुप्ता	व्याख्याता	312, कृष्णा नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
13.	श्रीमती मीरा देवी/ श्री नन्नूराम गुप्ता	व्याख्याता	39 न्यू शिविल लाईन, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
14.	डा0 संगीता चर्तुवेदी/श्री डी. पाठक	व्याख्याता	9, अनिरूद्ध नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
15.	डा0 सुनीता पाण्डेय/श्री वी. एन. शर्मा	व्याख्याता	ई 27, रनजीत नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
16.	डा0 धर्मेन्द्र कुमार/ श्री प्रहलाद सिंह	व्याख्याता	87, स्वर्ण जयन्ती नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
17.	श्री जितेन्द्र सिंह/ श्री राजपाल सिंह	व्याख्याता	250, एस पी एम नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य
18.	श्री अरविन्द वर्मा/ श्री राम भरोसी	व्याख्याता	1 एन 6, हासिंग बोर्ड, कृष्णा नगर, भरतपुर	कार्यकारणी सदस्य

रमाकान्त
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधानपत्र के अर्न्तगत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :–

क्र.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	डा0 रामाकान्त चतुर्वेदी / श्री भूरीसिंह	उपाचार्य एम. एस. जे	9, अनिरूद्ध नगर, मडरपुर रोड, भरतपुर	
2.	डा0 राजेन्द्र सिहं / श्री निरंजन सिंह	व्याख्याता	8, पुराना रोडवेज वर्कशोप कॉलोनी, भरतपुर	
3.	डा0 बृजेश कुमार गुप्ता / श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	व्याख्याता	262, राजेन्द्र नगर, भरतपुर	
4.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल / श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	व्याख्याता	ए 28, रनजीत नगर, भरतपुर	
5.	डा0 ओमप्रकाश शर्मा / श्री बाबूलाल शर्मा	व्याख्याता	2/38 हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, भरतपुर	
6.	डा0 रामबाबू / श्री रामचरण	व्याख्याता	गॉव व पोस्ट– खूट खेड़ा, तह– बयाना, भरतपुर	
7.	डा0 प्रमिला गुप्ता / श्री बैजनाथ गुप्ता	व्याख्याता सहआचार्य	401, पदमविला, भरतपुर	
8.	डा0 परमजीत सिंह / श्री बलबन्त सिंह	व्याख्याता	30, प्रेम नगर, न्यू आदर्श कॉलोनी, पाई बाग, भरतपुर	
9.	डा0 मधु गोदारा / श्री महाराज सिंह	व्याख्याता	159, कृष्णा नगर, भरतपुर	
10.	डा0 विनोद कुमार शर्मा / श्री हरिशंकर शर्मा	व्याख्याता	मकान न. 86, बाईपास रोड, डीग	
11.	डॉ शिव कुमार सिंह / श्री बृजेन्द्र सिंह	व्याख्याता	घेर बल्लमगढ, कोतवाली के पास, भरतपुर	
12.	डॉ0 रीता गुप्ता / श्री रमनलाल गुप्ता	व्याख्याता	312, कृष्णा नगर, भरतपुर	
13.	श्रीमती मीरा देवी / श्री नन्नूराम गुप्ता	व्याख्याता	39 न्यू शिविल लाईन, भरतपुर	
14.	डा0 संगीता चतुर्वेदी / श्री डी. पाठक	व्याख्याता	9, अनिरूद्ध नगर, भरतपुर	
15.	डा0 सुनीता पाण्डेय / श्री वी. एन. शर्मा	व्याख्याता	ई 27, रनजीत नगर, भरतपुर	
16.	डा0 धर्मेन्द्र कुमार / श्री प्रहलाद सिंह	व्याख्याता	87, स्वर्ण जयन्ती नगर, भरतपुर	
17.	श्री जितेन्द्र सिंह / श्री राजपाल सिंह	व्याख्याता	250, एस पी एम नगर, भरतपुर	
18.	श्री अरविन्द वर्मा / श्री राम भरोसी	व्याख्याता	1 एन 6, हासिंग बोर्ड, कृष्णा नगर, भरतपुर	Arvind

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

19.	डा0 सुन्दर सिंह / श्री लक्ष्मन सिंह	व्याख्याता	सी 65, जवाहरनगर, भरतपुर	
20.	डा0 कृष्णा शर्मा / डा0 बी. के. तिवारी	व्याख्याता	333 सी, कृष्णा नगर, भरतपुर	
21.	डा0 मोहन कुमार शर्मा / श्री गौरी शंकर शर्मा	व्याख्याता	पाईबाग, मॉडल स्कूल के पास, भरतपुर	
22.	डा0 उर्मिला शर्मा / श्री रामकृष्ण शर्मा	व्याख्याता	215, [illegible] जयन्ती नगर, भरतपुर	
23.	डा0 नरेश गोयल / श्री रामचरण लाल	व्याख्याता	बी 26, जवाहर नगर, भरतपुर	
24	श्री छीतरमल कोली / श्री देवीराम कोली	व्याख्याता	250, सुभाष नगर, भरतपुर	
25.	डा0 कृष्ण कुमार गुप्ता / श्री एन एल गुप्ता	व्याख्याता	बी 91, जवाहर नगर, भरतपुर	

रमाकान्त

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

पंजीयन क्रमांक 49 / भरत / रजि. / 2016-17
संस्था का नाम पूर्व छात्र समिति MSJ कॉलेज भरतपुर
किस्म दस्तावेज सम विधान पत्र / नियमावली / पंजीयन प्रपत्र पत्र
दस्तावेजों की संख्या 3
पंजीयन दिनांक 12/1/16
हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

(साक्षी)
शिवाली चौधरी
(डॉ. शिवाली चौधरी)
1. हस्ताक्षर
(नाम / व्यवसाय व पूर्ण पता)
व्याख्याता
राज. महा[illegible] महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

रजिस्टार संस्थाऐं
भरतपुर (राज0)

(साक्षी)
(डॉ. आनन्द रावत)
2. हस्ताक्षर
(नाम / व्यवसाय व पूर्ण पता)
व्याख्याता
राज. महारानी श्री जया महाविद्यालय
भरतपुर (राज.)

रमाकान्त

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

पूर्व छात्र समिति(ALUMNI ASSOCIATION)

महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर

संघ विधान नियमावली

1. संस्था का नाम— इस संस्था का नाम पूर्व छात्र समिति, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय— इस संस्था का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय— प्राध्यापक कक्ष, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर रहेगा तथा कार्यक्षेत्र एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला भरतपुर क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3. संस्था के उद्देश्य—
    1. महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर मे अध्ययन किये पूर्व विद्यार्थियो मे आपसी सद्भाव व भ्रातृत्व भावना का विकास करना।
    2. महाविद्यालय के विकास के लिए योजना बनाकर क्रियान्वयन करना।
    3. छात्रो के व्यक्तित्व विकास तथा ज्ञानवर्धन के लिए समय–समय पर सांस्कृतिक, बौद्धिक गतिविधियाँ तथा शिविर एवम् अन्य रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करना।
    4. पूर्व सम्माननीय विद्यार्थियो का सम्मान करना।
    5. प्रतिभावान विद्यार्थियो का सम्मान करना।
    6. राष्ट्र तथा समाज के विकास कार्यो मे अपूर्व योगदान देने वाले तथा विशिष्ट उपलब्धियो से गौरवान्वित पूर्व तथा वर्तमान छात्रो का सम्मान करना।
    7. सदस्यो एवम् दानदाताओ के संसाधनो एवं विभिन्न गतिविधियो से धन अर्जित कर महाविद्यालय तथा समाजोपयोगी गतिवधियो मे लगाना।
    8. महाविद्यालय मे जनहितार्थ गतिविधियाँ आयोजि करना।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई निजी लाभ निहित नहीं है।

Scanned by CamScanner

4. सदस्यता—— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति कार्यकारिणी की स्वीकृति उपरान्त संस्था के सदस्य बन सकेगे।

1. न्यूनतम एक पूर्ण सत्र की अवधि मे महाविद्यालय के छात्र रहे हो।
2. संस्था के उद्देश्यो मे निःस्वार्थ रूचि व आस्था रखते हो।
3. संस्था के सेवाकार्यो मे सक्रिय भागीदारी दे सके।
4. सम्पूर्ण भारत/विश्व मे कही भी निवास करते हो।
5. सदस्यता आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी मे निहित रहेगा।
6. संस्था के हित मे कार्यकारिणी, साधारण सभा की सहमति से कार्यकारिणी सदस्य संख्या परिवर्तित कर सकेगी।

5. सदस्यो का वर्गीकरण— संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगे।

1. संरक्षक व परामर्शदाता पदेन प्राचार्य होगे।
2. सम्माननीय सदस्य (केवल पूर्व छात्र उपनियम 4 के अन्तर्गत)
3. साधारण सदस्य
   (केवल पूर्व छात्र उपनियम 4 के अन्तर्गत)

6. सदस्यो द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा—

उपनियम संख्या 5 मे अंकित सदस्यो द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1. सरंक्षक व परामर्शदाता— कोई शुल्क नही तथापि स्वैच्छिक चन्दा स्वीकार्य
2. सम्माननीय सदस्य— रू 5,100/—
3. साधारण सदस्य — राशि 100/— वार्षिक अथवा 1,500/— आजीवन (उक्त राशि एक मुश्त ही जमा कराई जा सकेगी।)

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

7. सदस्यता से निष्कासन– संस्था के सदस्यो का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा।

1. संस्था के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने पर
2. महाविद्यालय के किसी प्रकरण पर सजा होने पर
3. स्वर्गवास होने पर
4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर
5. मानसिक रोगी अथवा किसी गंभीर रोग से पीडित होने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित मे आवेदन करने पर की जा सकती है। साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा – संस्था के उपनियम 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य–

साधारण सभा के निम्न कार्य एवं कर्त्तव्य होगे।

1. प्रबन्ध कार्यकारिणी का चुनाव कराना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

संस्था के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से विधान मे संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय मे फाइल जमा कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

रमाकान्त
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

10. साधारण सभा की बैठक–

1. साधारण सभा की वर्ष मे एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक की सूचना 5 दिन व कोरम कुल सदस्यो का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 5 दिन व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः एक घण्टे के पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यता नही होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होगे। जो पूर्व एजेन्डा मे थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11.कार्यकारिणी का गठन–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंध कार्यकारिणी का गठन प्रारम्भ मे पदेन संरक्षक (प्राचार्य) की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित कर सदस्यो की सहमति से मनोनयन द्वारा किया जावेगा।

जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे।

1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–दो 3.सचिव–एक,
4. संयुक्त सचिव–दो 5. कोषाध्यक्ष–एक एवं 11कार्यकारणी सदस्य

इस प्रकार कार्यकारिणी मे सात पदाधिकारी तथा 11 कार्यकारिणी सदस्य इस प्रकार कुल 18 (अट्ठारह) सदस्य होगें।

रमाकान्त
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

विशेषः 1. स्थानान्तरण/सेवानिवृत होने पर पर साधारण सभा/कार्यकारिणी की बैठक द्वारा इनके स्थान पर मनोनयन किया जा सकेगा।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन –

1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव (प्रथम मनोनयन के बाद) 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी।
4. सत्रावसान के उपरान्त 90 दिन मे चुनाव अनिवार्य है।
5. चुनाव प्रक्रिया मे वही सदस्य भाग ले सकेगे जिनका सदस्यता शुल्क व सम्पूर्ण बकाया राशि चुनाव होने की तिथि से एक माह पूर्व जमा हो चुकी है।
6. चुनाव लडने का अधिकार उन्ही सदस्यो को होगा जिनकी संस्था मे सदस्यता को कम से कम दो वर्ष पूर्ण हो गये हो।
7. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी को पूर्व मे एक सत्र तक संस्था की कार्यकारिणी मे अन्य पद पर रहना आवश्यक है तथा कोई सदस्य लगातार तीन सत्र तक ही संस्था के अध्यक्ष पद पर रह सकता है।
8. चुनाव की अधिसूचना एवं योग्य सदस्यों की सूची, चुनाव तिथि के 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी।
9. चुनाव के बाद में किसी कारणवश कोई पद रिक्त होता है तो अगली कार्यकारिणी के चुनाव तक उस पद पर किसी भी सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

10. संस्था (पूर्व छात्र समिति) की त्रिवार्षिक कार्यकारिणी का एक बजट सत्र, 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक रहेगा।

13. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगेः–

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व जरूरत पडने पर सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वयन करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।
8. समायोपयोगी कार्यों का निर्धारण, कार्यकारिणी की सर्वसम्मति अथवा 2/3 बहुमत से होगा।

14. कार्यकारिणी की बैठकः–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 3 बैठक अनिवार्य होगीं, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगीं।
2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठकों की सूचना प्राय 3 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से बहुत कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः एक घण्टे बाद निर्धारित स्थान व समय पर होगी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

5. ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे।

कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में कराना आवश्यक होगा।

15. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–

संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे –

(1) अध्यक्षः–1. बैठको की अध्यक्ष्यता करना।

2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3. बैठकें आहूत करना।

4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) सचिवः–

1. बैठकें आहूत करना।

2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉड रखना।

3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।

4. वैतनिक कर्मचारी, यदि कोई है, तो उस पर नियंत्रण तथा उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

(3) उपाध्यक्षः— 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्रथम या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

2. कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

(4) कोषाध्यक्षः—

1. वार्षिक लेखा—जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा /शुल्क /अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

(5) संयुक्त सचिवः—1. सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त प्रथम या उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव द्वितीय सचिव के पद के समस्त कार्यो का संचालन करेंगें।

2. अन्य कार्य जो कार्यकारिणी द्वारा सौंपे जायेंगे।

16. संस्था का कोष— संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा

1. सदस्यता शुल्क
2. अन्य अनुदान
3. सहायता
4. राजकीय सहायता/ अनुदान

(अ) —उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैक मे संस्था के खाते मे सुरक्षित रखी जाऐगी।

(ब) अध्यक्ष/ सचिव/कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो पदाधिकारियो के संयुक्त हस्ताक्षरो से बैक मे लेन—देन संभव होगा। पदेन प्राचार्य (संरक्षक) की अनुमति एवं हस्ताक्षर आवश्यक है।

रमाकान्त
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

17. कोष संबधी विशेषाधिकार– संस्था के हित मे तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की निम्न राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगे।

1. अध्यक्ष – 11000 रू0 तक
2. सचिव – 10000 रू0 तक
3. कोषाध्यक्ष– 5000रू0 तक

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंध कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

18. संस्था का अंकेक्षण– संस्था के समस्त लेखे जोखे का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ भरतपुर को प्रस्तुत करने होगे।

19. संस्था के विधान मे संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन–

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन।

अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन –

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

21. संस्था के लेखे–जोखे का निरीक्षणः– रजिस्ट्रार संस्थाऐं भरतपुर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जॉच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) पूर्व छात्र समिति, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर, भरतपुर की सही व सच्ची प्रति है।

पंजीयन क्रमांक........................
49/........./........./16-17
संस्था का नाम... पूर्व छात्र समिति MSJ कॉलेज भरतपुर
जिला .... या ..../
नियमावली / पंजीयन प्रमाण पत्र
दस्तावेजों की संख्या 3
.... दिनांक 12/1/16
हस्ताक्षर ....

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

रजिस्टार संस्थाएँ
भरतपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

ALUMNI ASSOCIATION
M.S.J. GOVT. (P.G.) COLLEGE, BHARATPUR
(RAJ.)

MEMBERSHIP FORM

ANNUAL / LIFE MEMBERSHIP

Photo

1. Name in full (in block letters)..
2. Father's Name ....
3. Date of Birth ....
4. Address ....

(i)Permanent ....

....

(ii)Present Address ....

....

5. Qualification ....

6. Phone.No.(Office).............................. (Residence) ....

(i) Mobile No. ....

(ii)E-mail ....

7. Occupation(full details) ....

....

8. Details of tenure as student of MSJ College, Bharatpur.

Class/Course .... Period .... to ....

9. Achievements (Curricular/Co-Curricular/Extra Curricular) ....

....

10. Contribution to the Society ....

....

11. Membership fees(by cash/cheque/draft)

No. of Cheque/Draft .... Date .... Amount .... Bank

....

(Annaul Rs.100/-,Life-Rs.1500/-)

(DD/Cheque must be drawn in favour of Secretary, Poorva Chhatra Samiti, Maharani Shri Jaya Mahavidyalaya Bharatpur.

Date:- Signature

Place:- Full Name

For office use only

Dr./Mr./Mrs. .... is hereby enrolled as an annual/life member of the association.

Scanned by CamScanner